

**मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना  
के तहत  
“जन कल्याण शिविर”**

**(दिनांक 10.05.2017 – 10.07.2017)**

**नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन  
विभाग**

1

**योजना का प्रयोजन एवं प्रक्रिया**

- नगरीय क्षेत्र में आम जन को राहत ।
- कठिनाईयों के निराकरण एवं प्रक्रिया का सरलीकरण ।
- वर्तमान नियमों एवं प्रावधानों का पालन करते हुये कुछ मामलों में छूट ।
- नगरीय निकायों को शिविर आयोजन के विकल्प ।
- जिला कलक्टर द्वारा नियमित रूप निगरानी ।
- नगरीय निकायों द्वारा दैनिक रिपोर्ट ।
- राज्य सरकार द्वारा मासिक समीक्षा ।
- शिविर अवधि— 10 मई, 2017 से 10 जुलाई, 2017 ।

2

## मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना शिविर के अन्तर्गत किये जाने वाले मुख्य कार्य

- नियमन एवं पट्टा
- कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों
- सिवायचक भूमि पर बसे आवासीय क्षेत्र
- सीलिंग अधिनियम, अल्सर अधिनियम, भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, बेरी आयोग, दवे आयोग एवं कस्टोडियन भूमियों से प्रभावित योजनाएँ
- विभिन्न विभागों यथा राजस्थान आवासन मण्डल, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का नियमितिकरण।
- स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत
- कच्ची बस्ती
- खांचा भूमि
- आवंटित/नीलाम भूखण्डों में मौके पर क्षेत्रफल में वृद्धि

3

- नाम हस्तान्तरण
- भवन मानचित्र अनुमोदन
- भूखण्डों के पुर्नगठन/उप विभाजन।
- बकाया लीज व एक मुश्त लीज व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र एवं नगरीय विकास कर की ब्याज एवं शास्ति की राशि में छूट देकर वसूली
- सिवाय चक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण
- प्राधिकरणों/न्यासों के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को आबादी हेतु भूमि आवंटन
- ई0 डब्ल्यू0 एस0/एल0 आई0 जी0 / 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/ आवासों का आवंटन बहाल करना

4

- गाडिया लुहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्द्धघूमन्तु जातियों को 50 वर्गगज भूमि का निःशुल्क आवंटन
- भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में विकसित भूमि का विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने और ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किये जाने बाबत
- जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना एवं जन्म-मृत्यु पंजीयन।

5

## स्वच्छ भारत मिशन के तहत शिविर में किये जाने वाले कार्य

- शहर को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिये लाभार्थियों का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति
- शहर में जहां व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण नहीं किया जा सकता वहां पर सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति।
- सीवर कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना, स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किया जाना।

ppt Jan Klyan Yojna 2017hindi 27  
march

6

## दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शिविर में किये जाने वाले कार्य

- शहरी बीपीएल व गरीब परिवारों (1 लाख रुपये से कम आय) के आर्थिक उन्नयन हेतु कौशल प्रशिक्षण।
- स्वयं सहायता समूह का गठन, कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु युवाओं का चयनीकरण, ऋण दिलवाने बाबत आवेदन एवं स्वीकृति, वार्ड में बेघर व्यक्तियों/परिवारों की पहचान कर आवास/आश्रय स्थल हेतु प्रस्ताव

ppt Jan Klyan Yojna 2017hindi 27  
march

7

## मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत शिविर में किये जाने वाले कार्य

- राजकीय भवनों (छत क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर व अधिक) पर रूफ टॉप रेनवाटर हारवेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण कार्य।
- प्राचीन बावडियों का जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्य।
- शहरी क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण/वनीकरण का कार्य।
- आई.ई.सी विधियां संचालित कर निजी भवन मालिकों को रूफ टॉप रेनवाटर हारवेस्टिंग संरचनाओं के निर्माण व परकोलेशन पिट के निर्माण हेतु प्रेरित करना।

8

## मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत शिविर में किये जाने वाले कार्य

- मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर/निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं आवासों की योजनाये तैयार करना।
- हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डधारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु अनुदान/ऋण से जुड़ा ब्याज अनुदान योजना हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना।

## **कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन (17.06.1999 से पूर्व बसी कॉलोनियां)**

- अधिकतम 70 प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्रफल एवं 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण की स्थिति में योजना का नियमन
- 70 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत तक के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की कॉलोनी का नियमन राज्य सरकार द्वारा, नगरीय निकाय की अनुशंसा पर, यदि अन्य कोई विकल्प नहीं हो।
- मास्टर प्लान में वर्णित भू-उपयोग के अनुरूप होने पर ही योजनाओं का नियमन।
- आवासीय योजनाओं में न्यूनतम 30 फीट चौड़ी सड़क अनिवार्य मौके पर सड़क की चौड़ाई कम होने पर ले-आउट प्लान में न्यूनतम 30 फीट सड़क चौड़ाई रखते हुए शेष क्षेत्रफल का पट्टा यदि पूर्व में सड़क चौड़ाई निर्धारित कर पट्टे दिये जा चुके हैं तो सड़क की उपलब्ध चौड़ाई व पूर्व में जारी पट्टों के अनुसार शेष भूखण्डों के पट्टे भी देय होंगे

### 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां

- यदि किसी भूखण्ड पर निर्माण होने की स्थिति में भी पट्टा देय पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा।
- सेक्टर प्लान/मास्टर प्लान की सड़कों को यथावत रखते हुये आवासीय योजना का नियमन।
- कॉलोनी के मध्य आयी राजकीय भूमि अथवा राजकीय भूमियों पर बसी कॉलोनियों का नियमन, मास्टर प्लान के अनुसार भू-उपयोग तथा सड़कें उपलब्ध होने के आधार पर।
- राजकीय भूमियों के लिए दिनांक 21.09.2012 के परिपत्र से निर्धारित दरों के आधार पर नियमन।

11

### 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां

- प्रति योजना/कॉलोनी में विकास प्राधिकरणों को 2.50 हैक्टेयर, राजकीय भूमि नियमन अधिकारिता/योजना
- प्राधिकरण— 2.50 हैक्टेयर,
- नगर विकास न्यास—1.25 हैक्टेयर
- अन्य निकाय— 0.50 हैक्टेयर
- उपरोक्त से अधिक होने पर राज्य सरकार की अनुमति से।

12

### 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां

- **हस्तान्तरित भूखण्डों का नियमन:-** 17.06.1999 के पूर्व अस्तित्व में आयी कॉलोनी में अपंजीकृत दस्तावेजों पर हस्तान्तरित भूखण्ड का अंतिम क्रेता के नाम पट्टा देय।
  - ❖ अपंजीकृत दस्तावेजों की वैधता की कट-ऑफ-डेट 31.10.2016।
  - ❖ पंजीकृत इकरारनामों में केवल प्रीमियम राशि।
  - ❖ अपंजीकृत इकरारनामों के मामले में प्रीमियम राशि + 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि।
  - ❖ अंतिम हस्तान्तरण से पूर्व के मध्यवर्ती दस्तावेज यदि वे अपंजीकृत या अमुद्रांकित हैं तो उन पर वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 53 दिनांक 14.07.2014 एवं क्रमांक 227 दिनांक 09.03.2015 के अनुसार मुद्रांक शुल्क देय होगा इस कार्यवाही के उपरांत ही पट्टा जारी किया जा सकेगा।

13

### 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां

- **ले-आउट प्लान तैयार करने बाबत :-**
  - ❖ निकाय स्तर पर कॉलोनियों का सो-मोटो सर्वे कर खसरा मानचित्र से सुपर इंपोज्ड ले-आउट प्लान तैयार किया जायेगा। जमाबंदी एवं खसरा मानचित्र की प्रति यदि निकाय में उपलब्ध नहीं हो तो जिला कलक्टर द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।
  - ❖ खसरा मानचित्र उपलब्ध नहीं होने या प्रमाणित नहीं होने पर वहाँ मौके की स्थिति के अनुसार ले-आउट तैयार किया जायेगा।
  - ❖ ले-आउट तैयार करने के बाद कॉलोनी के नियमन हेतु निकाय द्वारा सार्वजनिक नोटिस से आपत्तियों/सुझाव प्राप्त कर और उनका निस्तारण कर ले-आउट प्लान अनुमोदित किया जायेगा।
  - ❖ ले-आउट प्लान पर व्यय कॉलोनी के उन सभी भूखण्डधारियों, जिनका नियमन होना है, से क्षेत्रफल के अनुसार समानुपातिक रूप से लिया जायेगा।
  - ❖ प्रत्येक अनुमोदित ले-आउट प्लान की Soft-Copy निकाय रिकार्ड में रखा जाना अनिवार्य होगा।

14

## ले-आउट प्लान के संबंध में

- ❖ यदि किसी योजना में सड़क की चौड़ाई 20 फीट मौके पर उपलब्ध है तथा भूखण्ड सड़क के दोनों ओर 20 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में सड़क के दोनों ओर के भूखण्डों में से 5 फीट गहराई कम करते हुये पट्टे जारी किये जायेंगे, जिससे भविष्य में 30 फीट चौड़ी सड़क कायम की जा सके। यदि भूखण्ड सड़क के एक ओर है तो सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट कायम करने हेतु मार्गाधिकार की शेष भूमि उस ओर के भूखण्डों की गहराई में कम करते हुये पट्टे जारी किये जावें।
- ❖ 17.06.1999 से पूर्व अथवा पश्चात् अस्तित्व में आयी योजनाओं के भूखण्डों पर यदि निर्माण किया हुआ है तो भी भूखण्ड का पट्टा दिया जावेगा और उस पर यह अंकित किया जावेगा कि भूखण्ड पर निर्मित भवन का नियमितिकरण नहीं किया गया है, केवल भूखण्ड के स्वामित्व हेतु पट्टा जारी किया गया है। पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व हेतु जारी किया जाता है, अतः पट्टे से भूखण्ड पर हुये निर्माण की स्वीकृति/नियमितिकरण की पुष्टि नहीं होती है।

15

## 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां

- पट्टों के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क में छूट :-
  - ❖ पट्टा यदि स्वयं खातेदार या खातेदार से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत एवं पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर जारी किया जाता है तो मुद्रांक शुल्क बाजार मूल्य के बजाय कम कीमत (अर्थात् प्रीमियम + विकास शुल्क + ब्याज + शास्ति यदि कोई हो + दो वर्ष के औसत किराये की राशि) को कन्वेन्स की दर मानते हुये देय होगा।
  - ❖ अपंजीकृत एवं अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर नियमन पश्चात् जारी पट्टों पर मुद्रांक शुल्क वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 55 दि. 14.07.2014 एवं क्रमांक 215 दि. 08.03.2016 के अनुसार होगा।
  - ❖ मध्यवर्ती अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी पर रियायत वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 53 दिनांक 14.07.2014 एवं क्रमांक 227 दिनांक 09.03.2015 के अनुसार होगी।
  - ❖ यह छूट दिनांक 31.12.2017 तक जारी रहेगी।

16



## 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां

- नगरीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर भूखण्डधारियों का सर्वे:- यदि खातेदार/सहकारी समिति द्वारा विक्रय पत्र/विक्रय इकरारनामा/सदस्यता सूची/ले-आउट प्लान इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तो नगरीय निकाय द्वारा स्वप्रेरणा से ही सर्वे करवाया जायेगा जिसके लिये निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी:-
  - ऐसी योजना के नियमन बाबत स्थानीय समाचार पत्रों में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये और आपत्तियों का निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।
  - कार्यरत विकास समिति का सहयोग लिया जायेगा तथा विकास समिति अथवा भूखण्डधारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौके की वास्तविक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कार्यवाही की जायेगी।
  - मास्टर प्लान के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये ऐसी योजनाओं का ले आउट प्लान एवं सदस्यता सूची निर्धारण एवं अनुमोदन कर नियमन किया जा सकेगा। यह अनुमोदन नगरीय निकाय एम्पावर्ड कमेटी से करवाया जायेगा।

17

## 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां

- आवासीय कॉलोनियों जिनके ले-आउट प्लान अब अनुमोदित हो रहे हैं अथवा हो चुके हो, में सेक्टर रोड़ में संशोधन बाबत :-
  - दिनांक 17.06.99 से पूर्व विकसित हुयी आवासीय कॉलोनियों के ले-आउट प्लान अब तैयार किये किये गये हैं या किये जा चुके हैं एवं अनुमोदित हो चुके हैं, उनमें मौके पर कई निर्माणों के कारण सेक्टर रोड़ पूर्व स्वीकृति के अनुसार विकसित की जाना संभव नहीं है। अतः मास्टर प्लान के प्रावधानों एवं मापदण्डों की पालना करते हुए मौके के अनुसार सड़क की जो चौड़ाई उपलब्ध है उसी के अनुरूप सड़क की चौड़ाई निर्धारित की जा सकती है। किसी भी सड़क की चौड़ाई 30 फीट से कम नहीं होगी।
  - इस प्रकार के ले-आउट प्लान अनुमोदन अथवा संशोधन हेतु विकास प्राधिकरणों की जेडएलसी एवं अन्य न्यासों एवं स्थानीय निकायों के लिये एम्पावर्ड कमेटी अधिकृत रहेगी।

18

## 17.06.1999 के बाद की कॉलोनियों का नियमन/अनुमति

- अकृषिक उपयोग की अनुमति एवं नियमन की कार्यवाही सामान्यतः विद्यमान नियमों (धारा 90-ए के तहत वर्ष 2012 में बने नियम) तथा विद्यमान मापदण्डों के अनुसार की जायेगी।
- मांग पत्र जारी होने के 6 माह के पश्चात्, धारा 90-ए के तहत प्रदत्त अनुमति को नियम 9 (2) के अंतर्गत निरस्त मान लिया जाता है—
  - ऐसे मामलों में शिथिलता दी गई है कि मांग पत्र में वर्णित राशि तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के भुगतान पर भूखण्ड का नियमन कर दिया जावे,
  - यह शिथिलता दिनांक 31.12.2017 तक दी जा सकेगी।
- दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् के मामलों में जहाँ दिनांक 27.05.2011 से पूर्व धारा 90-बी (3) के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय होकर आदेश पारित हो चुके हैं वहा धारा 90-ए की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- धारा 90-ए के तहत अनुज्ञा/नियमन के साथ शपथ-पत्र की बजाय घोषणा पत्र लिया जायेगा और उस पर 50/- की बजाय 40/- मुद्रांक शुल्क होगा।

19

## 17.06.1999 के बाद की कॉलोनियों का नियमन/अनुमति

- जहाँ खातेदार ने अकृषिक उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया हो वहाँ स्व-विवेक से कार्यवाही एवं अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नियमन की प्रक्रिया:-
  - विभागीय परिपत्र दिनांक 02.05.2016 में बताई गई रीति एवं शास्ति के अनुसार धारा 91 सपटित धारा 90-ए के अंतर्गत प्रक्रिया अपनाते हुए हस्तांतरिती को भूखण्ड का नियमन,
  - स्व-प्रेरणा से कार्यवाही हेतु धारा 91 के अंतर्गत तहसीलदारों को प्राप्त शक्तियों का प्राधिकृत अधिकारियों को प्रत्यायोजन,
  - नगरीय निकाय के द्वारा ले-आउट प्लान के लिए स्व-प्रेरणा से सर्वे,
  - अपंजीकृत दस्तावेजो को भी मान्य करते हुए हस्तांतरिती को भूखण्ड का नियमन,
  - अपंजीकृत दस्तावेजो की वैद्यता की कट-ऑफ-डेट 30.06.2016 तथा इन दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण कट-ऑफ-डेट 30.09.2017 रहेगी।

20

## 17.06.1999 के बाद की कॉलोनियों का नियमन/अनुमति

- पंजीयन पर देय मुद्रांक शुल्क में छूट :-
  - यदि पट्टा स्वयं खातेदार के पक्ष में या खातेदार से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत एवं पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर जारी किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर कम कीमत (अर्थात् प्रिमियम+विकास शुल्क+ब्याज+शास्ति यदि कोई हो+2 वर्ष के औसत किराये की राशि) को कन्वेन्स की दर मानते हुये देय होगी। यह छूट पट्टा जारी होने के दो माह के भीतर पंजीयन कराने की शर्त पर दी जायेगी।
  - अपंजीकृत एवं अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर नियमन पश्चात् पट्टा जारी करने की स्थिति में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 55 दिनांक 14.07.2014 एवं क्रमांक: 215 दिनांक 08.03.2016 के द्वारा प्रदान की छूट के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी ली जावेगी।
  - वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 53 दिनांक 14.07.2014 एवं क्रमांक 227 दिनांक 09.03.2015 द्वारा मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत प्रदान की हुई है।
  - यह छूट दिनांक 31.12.2017 तक जारी रहेगी।

21

## पूर्व में जारी पट्टों का पंजीयन

- धारा 90-बी की कार्यवाही पर भूखण्डों के पूर्व में पट्टे मय स्टाम्प शुल्क जारी किये जा चुके हैं, किन्तु पंजीयन नहीं हुआ है ऐसे पट्टों के नवीनीकरण की कार्यवाही भी की जायेगी।
- ❖ पूर्व में जारी इन पट्टा-विलेखों को बिना किसी शास्ति के दिनांक 31.12.2017 तक पुनः निष्पादित करते हुए पुनर्वेद्य (रिवेलिडेटेड) किया जाकर दिनांक 31.12.2017 तक पंजीयन करवाया जा सकेगा।
- योजना के नियमन पश्चात् प्रथम कैम्प में पट्टा नहीं लेने वाले भूखण्डधारियों से प्रथम कैम्प की तिथि से 15 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है जो अत्याधित है। अतः उक्त ब्याज राशि के स्थान पर अब प्रिमियम की 25 प्रतिशत राशि के समान शास्ति ली जायेगी।

22

## सरकारी भूमि पर नियमन

- मास्टर प्लान में दर्शित अनुज्ञेय भू-उपयोग, सड़क की चौड़ाई के मापदण्डों के अनुरूप ही नियमन।
- भवन विनियमों के मापदण्डों के अनुरूप निर्माणों का ही नियमन।
- माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही नियमन।
- नगरीय निकायों को हस्तान्तरित सिवायचक भूमि पर अधिकतम 300 वर्गगज के आवासीय मकानों का नियमन।
- परिपत्र क्रमांक: प.1(ग)( )/डीएलबी/2001/01 दिनांक 01.01.2002 में वर्णित मापदण्ड पूरा होने पर ही नियमन तथापि कब्जे की कट-ऑफ-डेट 01.01.1991 की बजाय 15.08.2009 रहेगी।

23

## सरकारी भूमि पर नियमन

- भविष्य में सड़क की चौड़ाई हेतु भूमि अधिग्रहित करने पर मुआवजा में दी जाने वाली राशि आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि+6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के समान राशि होगी एवं इस पर किये गये निर्माण के मुआवजा की राशि प्रचलित सा.नि.वि. की BSR के आधार पर तय की जायेगी। इस आशय का शपथ-पत्र आवेदक से लिया जायेगा और पट्टा विलेख में भी इस शर्त का उल्लेख किया जायेगा।
- सरकारी भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के नियमितिकरण पर स्टाम्प शुल्क पर कोई छूट नहीं दी जायेगी।
- सरकारी भूमि पर नियमन की दरें विभागीय आदेश दिनांक 21.09.2012 के अनुसार वसूल की जायेगी।

24

### नगरीय निकाय/आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहित भूमि व सा. नि.वि/सिंचाई विभाग की भूमि पर नियमन

- मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग, सड़क की चौड़ाई के मापदण्डों एवं भवन विनियमों के मापदण्डों के अनुरूप होने पर ही नियमन।
- नियमितिकरण से पूर्व संबंधित विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी।
- विवादित भूमि पर सम्बंधित विभाग का कब्जा नहीं हो तथा उसके न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग में बसावट होनी चाहिये।
- भूखण्डधारी का कब्जा दिनांक 15.08.2009 तक प्रमाणित होना चाहिए।
- आवेदक से शपथ लिया जावेगा कि यदि भविष्य में सड़क की चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु भूमि अधिग्रहित की जाती है तो जिस दर पर आवेदक ने राशि जमा करायी है उसी दर से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित मुआवजे का भुगतान आवेदक को किया जावेगा एवं किये गये निर्माण की दर प्रचलित सार्वजनिक निर्माण विभाग की BSR के आधार पर किया जायेगा। पट्टा विलेख में भी इस शर्त का उल्लेख किया जावे।

25

### नगरीय निकाय/आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहित भूमि व सा.नि.वि. /सिंचाई विभाग की भूमि पर नियमन

- ऐसी भूमि का नियमन नहीं किया जायेगा जो अब्दुल रहमान प्रकरण या अन्य किसी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/निर्देशों के द्वारा निषिद्ध की गई हो।
- किसी सड़क एवं मार्गाधिकार में नियमन नहीं किया जायेगा।
- पार्क एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों में नियमन नहीं किया जायेगा।
- दिनांक 15.08.2009 को कब्जा प्रमाणित करने के लिये विभागीय परिपत्र दिनांक 06.01.2016 के पैरा 25(3)(xi) में वर्णित दस्तावेज मान्य होंगे। आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं राशन कार्ड भी मान्य होंगे।
- इन पट्टों पर स्टॉम्प ड्यूटी में छूट नहीं होगी।

26

### सीलिंग एक्ट 1973, **ULCAR** एक्ट 1976, सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 से प्रभावित भूमि का नियमन

- मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग, सड़क चौड़ाई के मापदण्डों एवं भवन विनियमों के मापदण्डों की पालना होने पर ही नियमन।
- ऐसी भूमि को सरकारी भूमि माना जावेगा एवं तदानुसार शेष मानदण्ड लागू होंगे।
- ऐसी भूमि जिस पर अदालत में कोई प्रकरण लम्बित है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है का नियमन नहीं किया जावेगा।
- नियमन की दर परिपत्र दिनांक 21.09.2012 के अनुसार सरकारी भूमि की दर के समान होगी।
- ऐसी भूमि का नियमन नहीं किया जायेगा जो अब्दुल रहमान प्रकरण या अन्य किसी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/निर्देशों के द्वारा निषिद्ध की गई हो।

27

### राज्य अनुदान अधिनियम के अन्तर्गत पट्टे (State Grant Act)

- राज्य अनुदान अधिनियम के अन्तर्गत नियमितिकरण/पट्टे :-
  - निर्माण प्रमाणित होने की नियत तिथि (सामान्य आवेदक) 01.01.1985 के स्थान पर 01.01.1990 व अजा/अजजा के लिये 01.01.1991 के स्थान पर 01.01.1996
  - 300 वर्गमीटर तक टोकन मनी 1/- रुपये
  - मास्टर प्लान के भू-उपयोग एवं भवन विनियमों की अनुपालना की जानी होगी।
  - वक्फ, देवस्थान, वन तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित स्थल पर नियमन नहीं किया जायेगा।

28

## कच्ची बस्तियों का नियमितकरण

- कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु स्लम री-डवलपमेंट पॉलोसी, 2012 में कच्ची बस्तियों के पुर्नवास हेतु प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- सर्वेधारी दिनांक 01.04.2004 बसे हुये परिवारों को भूखण्डों का नियमन।
  - मास्टर प्लान के भू-उपयोग एवं भवन विनियमों की अनुपालना की जानी होगी।
  - कच्ची बस्तियों का पुर्नविकास एवं पुर्नवास।
  - स्लम डवलपमेन्ट पॉलिसी, 2012
  - लाभार्थी परिवार हेतु नियत तिथी 01.04.2004

29

## नगरीय निकायों में एम्पावर्ड कमेटी का गठन

- योजना की अवधि में मानचित्र अनुमोदन, भू-पट्टी आवंटन एवं निर्माणों के नियमन आदि कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु एम्पावर्ड कमेटी का गठन :-
- (अ) जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण –
- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| (i) प्राधिकरण के अध्यक्ष              | – अध्यक्ष    |
| (ii) प्राधिकरण के आयुक्त              | – सदस्य      |
| (iii) प्राधिकरण के सचिव               | – सदस्य      |
| (iv) प्राधिकरण के निदेशक अभियांत्रिकी | – सदस्य      |
| (v) प्राधिकरण के निदेशक नगर नियोजन    | – सदस्य सचिव |
- (ब) नगर विकास न्यास :-
- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| (i) न्यास के अध्यक्ष             | – अध्यक्ष    |
| (ii) न्यास के सचिव               | – सदस्य      |
| (iii) न्यास का वरिष्ठतम अभियंता  | – सदस्य      |
| (iv) न्यास का तहसीलदार           | – सदस्य      |
| (v) न्यास का वरिष्ठतम नगर नियोजक | – सदस्य सचिव |

30



## .....नगरीय निकायों में एम्पावर्ड कमेटी का गठन

### (अ) नगर निगमो हेतु :-

- |   |                  |
|---|------------------|
| • उपायुक्त (संबंधित)                      | अध्यक्ष / संयोजक |
| • अधिशाषी / सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता       | सदस्य            |
| • उप / सहायक नगर नियोजक                   | सदस्य            |
| • लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार | सदस्य            |
| • विधि शाखा का संबंधित अधिकारी            | सदस्य            |

31

## .....नगरीय निकायों में एम्पावर्ड कमेटी का गठन

### (ब) नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य निकायों हेतु :-

- |  |                  |
|--|------------------|
| • आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी                                     | अध्यक्ष / संयोजक |
| • अधिशाषी / सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता                            | सदस्य            |
| • उप / सहायक नगर नियोजक / नगर नियोजन सहायक / वरिष्ठ प्रारूपकार | सदस्य            |
| • लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार                      | सदस्य            |
| • विधि शाखा का संबंधित अधिकारी                                 | सदस्य            |



### एम्पावर्ड कमेटी की शक्तियां

एम्पावर्ड कमेटी को शिविर में किये जाने वाले समस्त कार्यों में स्वीकृति दिये जाने की समस्त शक्तियां नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 71, 73, 118, 131, 182, 189, 194, 202, 207, 242, 243, 244, 245, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 एवं 306 के तहत निम्न शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं।

धाराएँ	एम्पावर्ड समिति को प्रदत्त शक्तियां
धारा-71	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत नगर पालिका के व्ययनाधीन पर रखी गई कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ नियम, 2012 के अन्तर्गत पट्टा जारी करने की शक्तियां
धारा-73	राजस्थान नगर पालिका में निहित या सरकारी भूमि का पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने अन्यथा अन्तरित करने की शक्तियां।
धारा-118	विभिन्न करो के संबंध में अन्तरिती के नाम नगर पालिका रजिस्ट्रारों में प्रतिस्थापन करने की शक्तियां।
धारा-131	करो की वसूली के संबंध में वॉरन्ट जारी करने की शक्तियां।
धारा-182	भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बन्धन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्तियां
धारा-189	बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो काष्ठ जमा किये जाने और न गड्डे खोदने के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां
धारा-194	समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां।

### एम्पावर्ड कमेटी की शक्तियां

धाराएँ	एम्पावर्ड समिति को प्रदत्त शक्तियां
धारा-202	भवनों से प्रभावी जल निकासी के संबंध में शक्तियां
धारा-207	जिस भूमि पर से नाली ले जाये उस पर पश्चात्वर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी के अधिकार की शक्तियां
धारा-242	झाड़ियों, वृक्षों आदि को हटाया जाना और उनकी कांट-छांट करने की शक्तियों का प्रयोग
धारा-243	खतरनाक भवनों को ध्वस्त करने, सुरक्षा के उपाय करने की शक्तियां
धारा-244	पटरियों आदि को हटाने संबंधी अधिकार
धारा-245	सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा को हटाने संबंधी शक्तियां
धारा-258	प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बन्धित करने या इस पर पाबन्दी लगाने की शक्तियां
धारा-259	सिवरेज कनेक्शन नहीं लेने या मल इत्यादि को बहाने को प्रतिबंधित करने व जुर्माना लगाने की शक्तियां
धारा-269	बजारों, वधशालाओं और कतिपय कारबार के लिये अनुज्ञप्ति देने की शक्तियां।
धारा-282	कतिपय व्यवसायों का विनियमन।

### एम्पावर्ड कमेटी की शक्तियां

धाराएँ	एम्पावर्ड समिति को प्रदत्त शक्तियां
धारा-287	किसी स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उस का व्यय वसूल करने की शक्तियां।
धारा-288	स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किये जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित करने और किराये में से व्यय काट सकने की शक्तियां।
धारा-299	अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां
धारा-306	समझौता करने की शक्तियां।

35

### कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के ले-आऊट प्लान अनुमोदन की शक्तियां

- विकास प्राधिकरणों में जोन स्तरीय समिति अधिकृत रहेगी। अनुमोदित ले-आऊट प्लान पर उपायुक्त एवं DTP/ATP द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किये जायेंगे :-
  - प्राधिकरण में जोन स्तरीय कमेटी का गठन :-
    - (i) संबंधित जोन उपायुक्त –संयोजक
    - (ii) उप/सहायक नगर नियोजक –सदस्य सचिव
    - (iii) तहसीलदार –सदस्य
    - (iv) संबंधित सहायक/अधिशाषी अभियंता –सदस्य
- नगर विकास न्यासों में ले-आऊट प्लान समिति निम्नानुसार रहेगी, जिसके द्वारा अनुमोदित ले-आऊट प्लान पर सचिव/उप सचिव/विशेषाधिकारी एवं DTP/ATP द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किये जायेंगे। नगर नियोजक की उपलब्धता नहीं होने पर संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा ले-आऊट प्लान पर हस्ताक्षर किये जायेंगे :-

36

## .....कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के ले-आउट प्लान अनुमोदन की शक्तिया

### ➤ नगर सुधार न्यासों के लिये गठित कमेटी

(i) सचिव / उप सचिव / विशेषाधिकारी –	संयोजक
(ii) उप / सहायक नगर नियोजक –	सदस्य सचिव
(iii) तहसीलदार –	सदस्य
(iv) संबंधित सहायक / कनिष्ठ अभियंता –	सदस्य

- नगर पालिका संस्थाओं में कृषि भूमि पर बसी योजनाओं के ले-आउट प्लान नगर नियोजन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा तकनीकी अनुमोदन किये जाने के पश्चात् ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति में उप / सहायक नगर नियोजक की उपस्थित आवश्यक नहीं रहेगी।

37

## अन्य बिन्दु

- जो भूखण्डधारी दिनांक 31.12.2017 के बाद 2 माह तक की अवधि में भी पट्टा लेने की कार्यवाही नहीं करेंगे उनसे भविष्य में अपने भूखण्ड के नियमन के लिये प्रीमियम की दुगुनी राशि मय ब्याज वसूल की जायेगी।
- धारा 90-ए के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार समाप्त होने एवं भूमि के नगर निकाय के व्ययाधीन माना जाने के आदेश के साथ ही भूमि का नामांतरकरण नगर निकाय के पक्ष में 7 दिवस के भीतर होना नियमानुसार आवश्यक है और नामान्तरण नहीं किये जाने की स्थिति में भी नियमन की कार्यवाही नहीं जा सकती। इस अवधि में नामांतरण की कार्यवाही नहीं किये जाने पर दोषी कर्मचारी एवं अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जहाँ धारा 90-ए की कार्यवाही से पूर्व भूमि का तकासमा (विभाजन) आवश्यक है वहाँ ऐसी कृषि भूमियों के लिए तकासमा के अधिकार 90-ए के लिए नियुक्ति किये गये प्राधिकृत अधिकारियों को दिये जा रहें हैं, ताकि मौके पर ही तकासमा किया जाकर 90-ए की कार्यवाही संभव हो सके।

38

## अन्य बिन्दु

- परिधि क्षेत्र के गांवों में खातेदारी/सहखातेदारी भूमि पर बने हुये निवास गृहों का नियमन :-
  - खातेदार/सहखातेदार द्वारा प्रत्येक को खातेदारी की कृषि भूमि पर अधिकतम 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर निर्मित आवास का नियमितिकरण कर पट्टा दिया जा सकेगा।
  - पट्टा निशुल्क होगा। कोई बाह्य विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क देय नहीं होगा।
  - ले-आउट प्लान अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं होगी। उक्त आवास का समायोजन भविष्य में आस-पास में विकसित होने वाली उस आवासीय योजना के ले-आउट प्लान में किया जायेगा। अर्थात् उक्त आवास गृह आवासीय योजना का भाग बन जायेगा।
  - शहरी क्षेत्र में भी खातेदारी भूमि पर बने हुये मकानों को वर्तमान प्रचलित नियमों एवं देय राशि के प्रावधानों के तहत पट्टा/नियमन की कार्यवाही की जायेगी।
  - मास्टर प्लान के अनुज्ञेय उपयोग के अनुसार ही नियमन हो सकेगा तथा सड़कों के मापदण्ड की पूर्ति होना भी आवश्यक है।

39

## अन्य बिन्दु

- धारा 90 बी के अन्तर्गत आवेदित मामलों में मांगपत्र जारी होने के बाद भी राशि जमा नहीं होने के प्रकरणों का नियमन :- ऐसे मामलों में मांगपत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस के पश्चात् देरी की अवधि पर देय राशि का 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वसूलनीय होगा।
- धारा 90 बी के अन्तर्गत जारी पट्टों के हस्तांतरण पर शुल्क :-
  - धारा 90-ए के नियमों के नियम 27 में पट्टे में नाम के अन्तरण के लिए शुल्क (मृत्यु के मामलों को छोड़ते हुये) निर्धारित है लेकिन धारा 90-बी में आवेदित मामलों में जारी पट्टों के नाम अन्तरण बाबत् प्रावधान नहीं होने से भिन्न-भिन्न प्रक्रिया अपनाते हुये भिन्न-भिन्न राशि वसूल की जा रही है।
  - अतः अब उक्त नियम 27 में निर्धारित प्रक्रिया एवं शुल्क के अनुसार ही धारा 90-बी में जारी पट्टों के मामलों में भी कार्यवाही की जावे।

40

## अन्य बिन्दु

- धारा 90-ए के अनुरूप धारा 90 बी (3) के अन्तर्गत आवेदित मामलों में प्रतिवर्तन (**Reversion**) बाबत :-
  - कई मामलों में धारा 90-बी (3) के अन्तर्गत भूमि को अकृषिक उपयोग की अनुज्ञा के आदेश जारी होने के पश्चात् आवेदक अब उसका उपयोग नहीं कर पाया है और पुनः कृषि उपयोग ही करना चाहता है उसके लिये कोई प्रावधान नहीं है।
  - राज्य सरकार के निर्णयानुसार धारा 90-ए के अन्तर्गत वर्ष 2012 में बने नियमों के नियम 24 के प्रावधानों के अनुरूप ही धारा 90-बी (3) के लम्बित मामलों जिनमें पट्टा जारी नहीं हुआ है उनमें आवेदक के आवेदन पर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में दर्ज करने एवं उसके खातेदारी अधिकार बहाल करने की अनुमति दी जा सकती है।
  - ऐसे व्यक्ति से जारी मांगपत्र की नियमन राशि की 10 प्रतिशत राशि वसूल की जायेगी। आवेदक द्वारा पूर्व में जमा राशि को समायोजित कर लिया जायेगा। लेकिन अधिक जमा राशि को वापिस नहीं किया जायेगा।

41

## अन्य बिन्दु

- मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन :-
  - माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल (पीआईएल) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 तथा इसकी पालना में जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक प.12(103)नविवि/2004/पार्ट- दिनांक 08.02.2017 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
  - भू-उपयोग परिवर्तन स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकेगा। क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास को ध्यान में रखते हुए व्यापक जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होने पर इस प्रकार के प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जायेंगे। राज्य सरकार के स्तर पर ही इस प्रकार के प्रकरणों का निर्णय किया जायेगा।
- 90 वर्गमीटर तक के आवासीय निर्माणों में सेटबैक में विचलन को नियमित किये जाने के लिये विद्यमान भवन विनियमों के अनुसार ही कार्यवाही।

42

## अन्य बिन्दु

### भूखण्डों के पुनर्गठन/उपविभाजन के प्रकरणों की स्वीकृति बाबत :-

- भूखण्डों के उप-विभाजन/पुनर्गठन के लिए 1500 वर्गगज तक के प्राप्त प्रकरणों एवं लम्बित चले आ रहे प्रकरणों का निस्तारण नगरीय निकाय के द्वारा 30 दिवस के भीतर किया जावे, जिसमें नियमों में वर्णित सभी मापदण्डों की पूर्ण पालना की जायेगी। विलम्ब पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- यदि किसी निकाय द्वारा भवन मानचित्र समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो इस योजना के तहत गठित नगरीय निकायों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आवेदित प्रकरणों का निष्पादन 30 दिवस में सुनिश्चित किया जायेगा।
- पुनर्गठन के बाद चाहे जाने वाली ऊर्चाई के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल (पी.आई.एल.) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में प्रदत्त निर्देश दिनांक 12.01.2017 को ध्यान में रखा जायेगा।

43

## अन्य बिन्दु

### • भवन मानचित्र अनुमोदन :-

- वर्तमान में भवन मानचित्र अनुमोदन भवन मानचित्र समिति द्वारा किये जाते हैं परन्तु इनकी नियमित बैठक नहीं होने से प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब होता है। अतः अब भवन मानचित्र समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा। बैठक इस प्रकार आयोजित की जावे कि किसी भी प्रकरण का 30 दिवस में निष्पादन हो सके।
- यदि किसी निकाय द्वारा भवन मानचित्र समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो नगरीय निकायों की नवगठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आवेदित प्रकरणों का निष्पादन 30 दिवस में सुनिश्चित किया जायेगा।
- भवन निर्माण के संबंध में मानचित्र अनुमोदन व भवन निर्माण जांच शुल्क प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल पर नियमानुसार लिया जायेगा।

44

### अन्य बिन्दु

- **भूखण्डों के बढ़े हुये क्षेत्रफल का नियमन :-** योजनाओं में आवंटित/विक्रय किये गये भूखण्डों का वास्तविक क्षेत्रफल योजना मानचित्र में दर्शायी गयी नाप से मौके पर अधिक पाया जाता है। ऐसे बढ़े हुए क्षेत्रफल का पृथक भूखण्ड के रूप में निष्पादन संभव नहीं होता।
- इस प्रकार बढ़े हुए क्षेत्रफल जो मूल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत या 100 वर्गगज, जो भी कम हो, को नियमन किया जा सकेगा।
- आवंटित किये हुये भूखण्डों के मामले में प्रचलित आरक्षित दर की दुगुनी दर या वर्तमान डी.एल.सी. दर, जो भी अधिक हो, पर नियमन किया जायेगा।
- नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्डों के मामलों में बढ़े हुये क्षेत्रफल को नीलामी दर मय ब्याज राशि जमा कराने पर नियमन किया जायेगा।
- **खाँचा भूमि का आवंटन :-** विद्यमान मापदण्ड के अनुसार ही आवंटन होगा। इस योजना की अवधि में खाँचा भूमि 100 वर्गगज की बजाय 150 वर्गगज क्षेत्रफल तक आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटित की जा सकेगी, लेकिन स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में सृजित होना यदि सम्भव है तो खाँचा भूमि के रूप में आवंटन नहीं होगा।

45

### अन्य बिन्दु

- **पटवारी एवं गिरदावर** नगरीय निकायों के लिये कार्य करेंगे, जिसके लिए उन्हें दोहरा कार्य भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा। नगरीय निकाय के चाहे जाने पर उनके द्वारा **राजस्व अभिलेख एवं नक्शे की प्रति निःशुल्क** उपलब्ध करायी जायेगी।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट की घोषणा एवं इसके अनुसरण में विभागीय आदेश दिनांक 15.03.2017 के अनुसार **शहरी जमाबन्दी का बकाया** एवं मौजूदा राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय **ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट** प्रदान की गई है। छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक प्रभावी रहेगा। अतः बकाया मूल राशि तत्परता से वसूल की जावे।
- **नगरीय निकायों को सिवाय चक भूमि का आवंटन** कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। नगरीय निकाय उस पर योजना तैयार करेंगे एवं भूखण्ड आवंटन/नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं अन्य योजनाओं के विकास की कार्यवाही की जायेगी।

46



### अन्य बिन्दु

- **ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन एवं पट्टा देने की अधिकारिता :-**
  - परिधीय क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में मुख्यालय वाले ग्राम में राजस्व नक्शे में दर्शित वर्तमान आबादी क्षेत्र की 500 मीटर तक तथा अन्य ग्रामों में आबादी क्षेत्र से 200 मीटर तक की सीमा में सार्वजनिक सुविधाओं यथा राजकीय विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पानी की टंकी, वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, आबादी विस्तार आदि के लिए सिवायचक भूमि आवंटित की जायेगी।
  - इन ग्राम पंचायतों में पट्टे दिये जाने की अधिकारिता इस योजना की अवधि में ग्राम पंचायतों की रहेगी। ग्राम पंचायतों के द्वारा रिक्त आबादी भूमि/हंस्तारित सिवायचक भूमि के आवंटन में सार्वजनिक उपयोग एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिये भूमि आवंटन को प्राथमिकता दी जायेगी।
  - उक्त प्रयोजनार्थ विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में प्राधिकरणों के द्वारा तथा अन्य क्षेत्रों में कलेक्टर के द्वारा भूमि आवंटित की जायेगी।

47

### अन्य बिन्दु

- **ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के आवासों का नियमन :-** आवंटियों द्वारा सम्पूर्ण राशि निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवाने पर आवासों का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा की पालना में जारी विभागीय आदेश दिनांक 09.03.2017 के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के दिनांक 01.01.2001 से आवंटित आवास जिनके लिए आवंटियों ने राशि जमा नहीं करायी है उनको बकाया राशि दिनांक 31.12.2017 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट देते हुये नियमित किया जायेगा।
- गाड़िया लुहार, घुमुन्तु, अर्द्ध-घुमुन्तु एवं राजस्थान राज्य विमुक्त जातियों के परिवारों को 50 वर्गगज भूखण्ड का निःशुल्क आवंटन किया जायेगा लेकिन ऐसे किसी परिवार को आवंटन नहीं किया जायेगा जिसके पास पूर्व से ही आवासीय मकान अथवा आवासीय भूमि है और ऐसे परिवार को भी भूमि आवंटन नहीं किया जायेगा जिसको पूर्व में भूमि आवंटित की थी लेकिन बाद में उसने बेच दिया हो। आवंटन की कार्यवाही 31.12.2017 तक की जा सकेगी।

48



## अन्य बिन्दु

- भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में विकसित भूमि का विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने और निस्तारण बाबत :- विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 6(29)नविवि/3/2004/पार्ट दिनांक 03.02.2015 के द्वारा राज्य सरकार ने भूमि अवाप्ति के लम्बित प्रकरणों, जिनमें खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गई है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है ऐसे खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि कुछ शर्तों के साथ दिनांक 30.04.2015 निर्धारित की थी। जिसे परिपत्र दिनांक 04.06.2015 के द्वारा दिनांक 31.08.2015 तक बढ़ाया गया था। इस कट-ऑफ-डेट दिनांक 31.08.2015 को 31.03.2017 तक बढ़ाया गया है।
- इस अवधि में जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हो उन सबका शतप्रतिशत निस्तारण कर राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा। विकसित भूमि देने के आवेदन अस्वीकार किये जाने के प्रकरणों की सूची मय ठोस कारण दिनांक 30.06.2017 तक नगरीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

49

## अन्य बिन्दु

- न्यायालयों के निर्णय से प्रभावित भूमि का नियमन निषेध – सुविधा क्षेत्र के भूखण्डों के नियमन तथा नदी, नाले, तालाब, नहर, झील, कैचमेन्ट एरिया आदि में नियमन किया जाना माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार निषिद्ध है। अतः ऐसे प्रकरणों का नियमन निषेध रहेगा।
- नगरीय निकायों के द्वारा अन्य नियमित कार्य जो कानूनी प्रावधानों/ योजनाओं/निर्देशों के तहत सम्पादित किया जाना अपेक्षित है उन्हें भी विशेष तत्परता एवं समयबद्ध रूप से सम्पादित किया जायेगा।
- माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में विभागीय स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी का गठन।
- विशेष परिस्थितियों में नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारियों का स्थानान्तरण।
- लघु शास्त्र दिये जाने के अधिकारों का जिला कलक्टर को प्रत्यावर्तन।

50

### अन्य बिन्दु

- **समस्त नगरीय निकायों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति –**
  - साप्ताहिक एवं पाक्षिक रिपोर्ट सीनीय निकाय निदेशालय को प्रेषित करने हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
  - नोडल अधिकारी इस योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार जन सामान्य में करायेगें। जनप्रतिनिधियों से भी बैठक कर उनको योजना की जानकारी देगें और इसके सफल क्रियान्वन हेतु उनका सहयोग भी प्राप्त करेगें।
  - नगरीय निकाय के स्टाफ को योजना के बिन्दुओं एवं कानूनी प्रावधानों/निर्देशों आदि के संबंध में प्रशिक्षित भी करेगें, तथा योजना के क्रियान्वयन की व्यूह रचना करेगें।
  - अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, परिपत्रों, आदेशों तथा प्रक्रिया की जानकारी हेतु नगरीय निकाय अपने स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था करेगें। नगरपालिका/परिषदों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्षेत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग द्वारा और उनकी देखरेख में कराया जायेगा। प्रशिक्षण दिनांक 16.04.2017 से पूर्व सम्पूर्ण हो जानी चाहिये।
- **नियंत्रण कक्ष :-** साप्ताहिक एवं पाक्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने एवं सूचनाएँ संकलित करने हेतु स्थानीय निकाय निदेशालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना। नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाले संदर्भों का त्वरित निस्तारण निदेशक स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय) नगरीय विकास विभाग के सहयोग से कराया जायेगा।

51

### अन्य बिन्दु

- **नियंत्रण कक्ष :-** साप्ताहिक एवं पाक्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने एवं सूचनाएँ संकलित करने हेतु स्थानीय निकाय निदेशालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना। नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाले संदर्भों का त्वरित निस्तारण निदेशक स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय) नगरीय विकास विभाग के सहयोग से कराया जायेगा।
- योजना का जिला कलक्टर द्वारा समन्वय किया जायेगा। जिला कलक्टर एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय किया जायेगा और नियमित रूप से निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जायेगी।
- सम्भागीय आयुक्तों, प्रभारी सचिवों तथा प्रभारी मंत्रियों द्वारा भी निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जायेगी।
- **योजना की प्रगति रिपोर्ट :-** निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएँ सभी नगर निकायों द्वारा स्थानीय निकाय निदेशालय में नियंत्रण कक्ष में प्रेषित की जायेगी और नियंत्रण कक्ष प्रभारी द्वारा मासिक समीक्षा हेतु संकलित सूचना नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग में प्रस्तुत की जायेगी।

52

